पत्र सं0-जनसूचना-(IGRS) /15-16/ 3142 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(जन सूचना-अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: 31 मार्च , 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः- शासन द्वारा निर्धारित समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जन सुनवाई के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या-01/चौंतीस-लो0शि0-05/2016 दिनांक 16-01-2016 के क्रम में Jansunwai.up.nic.in पर उपलब्ध नई जनसुनवाई प्रणाली में अधीनस्थ कार्यालयों को अंतरित करने के प्राविधान के तहत जनपद स्तर पर केवल असिस्टेण्ट कमिश्नर (प्रवर्तन)/ उपायुक्त को ही अधिकृत किया गया है , जिसमें व्यवहारिक रुप से कठिनाइयॉं है, इस सम्बन्ध में फील्ड स्तर पर सक्षम / वरिष्ठ अधिकारियों को नामित कराने की कार्यवाही अलग से चल रही है, किन्तु संदर्भो के निस्तारण में समयबद्धता को दृष्टिगत रखते हुये उचित होगा कि Jansunwai.up.nic.in पर जनपद स्तर पर प्रवर्तन सम्बन्धी सदंर्भो के निस्तारण के लिये प्रत्येक जनपद में असिस्टेण्ट कमिश्नर (स0द0) प्रथम इकाई तथा करनिर्धारण से सम्बन्धित संदर्भों के लिये प्रत्येक जनपद के खण्डाधिकारी / डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्यकर खण्ड-1 को नोडल अधिकारी नामित करते हुये उनके माध्यम से समयबद्ध निस्तारण विषयक आख्या लेकर प्राप्त संदर्भो के निस्तारण करने की व्यवस्था प्रभावी की जाय ।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जोन के प्रत्येक जनपद में उक्त के अनुसार अधिकारियो को अपने स्तर से नामित करते हुये इसकी सूचना 05 दिन के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है।

(बी0 राम शास्त्री)

एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

पृ0पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को विभाग की वेबसाइट की नोटिस बोर्ड तथा जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश की विभागीय ई-मेल आई0डी0 पर अपलोड करने हेतु।

(आर0सी0दीक्षित) 31-3-16

ज्वाइन्ट कमिश्नर (जनसूचना) / नोडल अधिकारी-IGRS

वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।